

बांसवाड़ा: नकली शराब बनाने के गिरोह का भंडाफोड़, अंतरराज्यीय तस्करी के संकेत पर फैक्ट्री परिसर का मालिक गिरफ्तार

Banswara Crime News : पुलिस ने देररात मारा आंबापुरा क्षेत्र में छापा, नामी ब्रांड की 15 लाख की बनी हुई शराब के साथ उपकरण बरामद

By: Varun Bhatt

Updated: 12 Mar 2021, 08:21 PM IST Banswara, Banswara, Rajasthan, India



बांसवाड़ा : नकली शराब बनाने के गिरोह का भंडाफोड़, अंतरराज्यीय तस्करी के संकेत पर फैक्ट्री परिसर का मालिक गिरफ्तार

बांसवाड़ा. जिले के आंबापुरा क्षेत्र में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ पुलिस की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीमों ने बीती रात क्षेत्रीय थाने के पुलिस दल के साथ नकली और नाजायज शराब बनाने के एक ठिकाने पर छापा मारा और करीब 15 लाख रुपए कीमत की बनी हुई अंग्रेजी शराब के साथ प्लांट के उपकरण, स्प्रीड-केमिकल के साथ बोतलों के ढक्कन, लेबल और अन्य संसाधन बरामद किए। पुलिस ने जिस भवन में यह धंधा चल रहा था, उसके मालिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कावेंद्रसिंह सागर ने बताया कि महानिदेशक द्वारा अंतरराज्यीय अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए कार्रवाई के राज्यव्यापी अभियान के तहत यह कार्रवाई आईजीपी, उदयपुर रेंज सत्यवीरसिंह के निर्देशन में की गई। इसके लिए डीएसपी बांसवाड़ा गजेंद्रसिंह राव के पर्यवेक्षण में कार्रवाइ्र से पहले गुरुवार को मुखबिर के जरिए इत्तला मिली कि झरनिया में जिले और पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के अपराधियों की मिलीभगत से अंतरराज्यीय गिरोह नकली और अवैध की फैक्ट्री स्थापित कर विभिन्न ब्रॉण्ड की शराब बनाकर भण्डारण कर रहे हैं। इस पर डीएसटी बांसवाड़ा, प्रतापगढ व आंबापुरा थाने के जाब्ते की साझा टीम ने योजनाबद्व तरीके से दिबश दी।

इस दौरान झरनिया में स्कूल के करीब एक मकान के गोदामनुमा हिस्से में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पाई गई। इसमें दो नामी ब्रांड के 143 कर्टन शराब और 310 भरी हुई लूज बोतलें बरामद हुई। इसके अलावा मौके पर विभिन्न शराब ब्रांड के ढक्कन, लैबल सील, खाली कार्टून, खाली बोतलों की बोरियांसमेत बोतल व कर्टन सीलिंग व पैकिंग की मशीनें, शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्प्रीट के भरे ड्रम, केमिकल, आरओ प्लांट, खाली ड्रम बराामद हुए। रात से शुक्रवार तडक़े तक चली कार्रवाई के दौरान मौके पर एक व्यक्ति पुलिस के हाथ लगा। पूछताछ में उसने अपना नाम वीरप्रतापसिंह पुत्र रणजीतिसेंह बताया, जो परिसर का मालिक है। उसने जिले के अलावा पड़ोसी राज्यों के लोगों के साथ यहां एकांत में अवैध काम करना कबूला।

आबकारी के साथ ट्रेड मार्क एक्ट में केस, अन्य आरोपियों की तलाश

पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता, आबकारी अधिनियम तथा ट्रेडमार्क अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी वीरप्रतापसिंह को गिरफ्तार कर माल जब्त किया। कार्रवाई दल में आंबापुरा थानाधिकारी किरेन्द्रसिंह, पुलिस की यातायात शाखा प्रभारी सचिन शर्मा, डीएसटी प्रभारी सुरेश बिजारनिया तथा प्रतापगढ़ डीएसटी टीम शामिल थी। पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई में शामिल टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

छिपते-छिपाते माल बनाकर भेज रही थी गैंग

fake-liquor-gang-in-banswara-6742327/

एसपी सिंह ने बताया कि इस नाजायज धंधे में लिप्त आरोपियों की गैंग विभिन्न ब्रांड का नकली माल बनाकर मौका देखकर पिकअप, ट्रक आदि वाहनों में छुपाकर अन्य जिलो व राज्यों में तस्करी कर रहे थे। आरोपी वीरप्रताप ने पूछताछ में स्वीकार किया कि गिरोह में विभिन्न जिलों व राज्यों के लोग शामिल हैं। जिस गोदाम में यह अवैध काम हो रहा था, वह उसी का है। उससे कुछ नाम सामने आए हैं, जिस पर पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है।

पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। Source: https://www.patrika.com/banswara-news/action-on-